न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट रसगण)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/58 /14 निर्णय दिनांक : 02.06.2016

उनवान

1. जन्नतदी बेवा कवंरचन्द
2. शौकत
3. लियाकत
4. रफूल
5. जाबिर पुत्रांन कवंरचन्द जाति मेव निवासी मुनपुर कर्मला तह0 रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. सत्तार पुत्र नामालूम
2. इन्साफ पुत्र सत्तार
3. निसार पुत्र सत्तार
4. शमशेर पुत्र सत्तार जाति मेव निवासी मुनपुर कर्मला तह0 रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.54 हैक्ट0 वाके ग्राम मुनपुर कर्मला तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त कुल कार्य कश्तकारी में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नही करे व किसी प्रकार का अक्रिमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार से कच्चा व पक्का निर्माण कार्य न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। न वादी को जबरन बेदखल करे न अपना नाजायज कब्जा करे न किसी तरह का जबरन निर्माण करावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रसगण में दिनांक 02.06.2016 को पेश हुई। प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित आये। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर कथन किया कि हमारा पूर्व में दिनांक 03.04.14 को राजीनामा हो चुका है। वर्तमान में भी हमारा आपसी कोई विवाद नही है। फिर भी पुनः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी की मौके व रिकार्ड के अनुसार पैमाईश करा दी जावे। पैमाईश रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे। तथा एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत व रूकावट नही करेंगे।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट में अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली है। राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.54 हैक्ट0 वाके ग्राम मुनपुर [illegible] तह0 रामगढ जिला अलवर की नियमानुसार मौके व रिकार्ड अनुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करें। बाद पैमाईश पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेगे व निर्माण आदि नही करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तजवीज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रसगण में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट रसगण)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/58 /14 — निर्णय दिनांक : 02.06.2016

उनवान

1. अनारूदी बेवा कवंरचन्द
2. सौकत
3. लियाकत
4. सकूल
5. जाबिर पुत्रांन कवंरचन्द जाति मेव निवासी मुनपुर कर्मला तह0 रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. सत्तार पुत्र नामालूम
2. इन्साफ पुत्र सत्तार
3. निसार पुत्र सत्तार
4. शमशेर पुत्र सत्तार जाति मेव निवासी मुनपुर कर्मला तह0 रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1345 रकबा 0.54 हैक्ट0 वाके ग्राम मुनपुर कर्मला तह0 रामगढ जिला अलवर की नियमानुसार मौके व रिकार्ड अनुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। बाद पैमाईश पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेगे व निर्माण आदि नही करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)